

निजी निर्माणकर्ता (**Private Developer**) तथा
निजी भूमिधारक (**Private Holder**) के माध्यम
से उत्तराखण्ड आवास नीति-2017 के अनुसार
राज्य में दुर्बल आय वर्ग (**EWS**) भवनों का निर्माण
किये जाने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति
(**Expression of Interest**) का आमंत्रण

दस्तावेज शुल्क : रू0 500.00



उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण
(**Uttarakhand Housing & Urban Development Authority**)

दूरभाष संख्या : 0135-2719500

ई-मेल : uhudauk@gmail.com, info@uhuda.org.in

वेबसाईट : www.uhuda.org.in

1. पात्रता शर्तें—

1.1 आवास नीति में निजी निर्माणकर्ता द्वारा प्रतिभाग किये जाने हेतु पात्रता:

कोई भी निजी निर्माणकर्ता जो निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करता हो आवास नीति में भागीदारी हेतु आवेदन कर सकता है।

- 1.1.1 निजी निर्माणकर्ता आवास नीति के अन्तर्गत आवास निर्माण किये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि का भूमि स्वामी होना आवश्यक है।

अथवा

निजी निर्माणकर्ता का स्वयं भूमि स्वामी न होने की स्थिति में वास्तविक भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के साथ भूमि को विकसित किये जाने हेतु पंजीकृत अनुबन्ध/पॉवर ऑफ अटार्नी जो भी विधिनुरूप मान्य हो का होना आवश्यक है।

- 1.1.2 निजी निर्माणकर्ता का स्वयं अथवा Joint venture अथवा Partnership आदि के रूप में आवास निर्माण कार्यों में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।
- 1.1.3 निजी निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं अथवा Joint venture अथवा Partnership आदि के रूप में किसी भी राज्य में न्यूनतम एक हैक्टर क्षेत्र में आवासीय योजनाओं का आवश्यक रूप से निर्माण किया हो जिसमें निर्माणकर्ता द्वारा सम्बन्धित प्राधिकरण से योजना का completion certificate प्राप्त किया हो।
- 1.1.4 निजी निर्माणकर्ता का स्वयं अथवा Joint Venture अथवा Partnership के रूप में किसी भी राज्य में निर्माणाधीन कार्यों की विगत तीन वित्तीय वर्षों में नेट वर्थ (Net Worth) धनात्मक (positive) होनी आवश्यक है।
- 1.1.5 योजना के अन्तर्गत कोई भी निजी भू-स्वामी, जिसके नाम स्वयं की भूमि है, अथवा वह व्यक्ति जिसके पास वास्तविक भूमि स्वामी/भूमि स्वामियों के साथ भूमि को विकसित किये जाने हेतु पंजीकृत अनुबन्ध/पॉवर ऑफ अटार्नी, जो भी विधिनुरूप मान्य हो है, के द्वारा भी आवास नीति के अन्तर्गत आवास निर्माण किये जाने हेतु आवेदन किया जा सकता है, बशर्ते उसके द्वारा किसी भी निजी निर्माणकर्ता के साथ निर्माण अनुबन्ध निष्पादित किया गया हो।

उत्तराखण्ड आवास नीति के अन्तर्गत निजी निर्माणकर्ता द्वारा प्रतिभाग किये जाने हेतु
आवेदन प्रारूप

सेवा मे,

मुख्य प्रशासक,

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण

विषय: उत्तराखण्ड आवास नीति-2017 के अन्तर्गत परियोजना प्रस्ताव हेतु आवेदन

महोदय,

मैं.....(निजी निर्माणकर्ता (एकल व्यक्ति) का नाम/फर्म का नाम/कम्पनी का नाम) पता.....(निजी निर्माणकर्ता (एकल व्यक्ति)/फर्म/कम्पनी का नाम) उत्तराखण्ड आवास नीति के अन्तर्गत मॉडल..... (मॉडल 1/2/3 अथवा किन्ही 2..... अथवा किन्ही 3..... अथवा सभी.....)** के अन्तर्गत किफायती आवास का निर्माण किये जाने मे इच्छुक हूँ। मैने उत्तराखण्ड आवास नीति के प्राविधानों को भलीभांति पढ़ लिया है तथा मैं उत्तराखण्ड आवास नीति के प्राविधानों को स्वीकार्य करता हूँ।

मैं.....अपना परियोजना प्रस्ताव संलग्नक-2 के अनुसार पत्र के साथ महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित कर रहा हूँ।

अतः महोदय से निवेदन है कि परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृत करने की कृपा करेंगे।

भवदीय,

आवेदक का नाम व पता (दूरभाष
न0 व ई-मेल आई डी0 सहित)

हस्ताक्षर

कम्पनी/फर्म की सील

नोट**— यदि आवेदक द्वारा एक से अधिक प्रस्ताव दिये जाते है तो प्रत्येक प्रस्ताव हेतु नया दस्तावेज जमा कराया जायेगा।

परियोजना प्रस्ताव प्रारूप

आवेदन संख्या.....(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

दिनांक.....

1. आवेदक स्वयं एकल व्यक्ति/प्रोपराइटर फर्म है तो
 - 1.1 आवेदक का नाम.....
 - 1.2 आवेदक का पता (स्वयं प्रमाणित प्रति सहित).....
 - 1.3 पैन कार्ड न0 (स्वयं प्रमाणित प्रति सहित).....
 - 1.4 आधार कार्ड न0 (स्वयं प्रमाणित प्रति सहित).....
 - 1.5 बैंक खाता संख्या व बैंक शाखा का नाम.....

(बिन्दुसंख्या 1.1 से 1.5 तक की सूचनाओं के साथ साक्ष्य सत्यापित प्रमाण संलग्न किये जाने आवश्यक हैं।)
2. आवेदक यदि कम्पनी/पार्टनरशिप फर्म/सोसाईटी है तो
 - 2.1 कम्पनी/पार्टनरशिप फर्म/सोसाईटी का नाम
 - 2.2 कम्पनी/पार्टनरशिप फर्म/सोसाईटी का पता
 - 2.3 निदेशकों/पार्टनर के नाम
 - 2.4 निदेशकों/पार्टनर के पते
 - 2.5 कम्पनी/पार्टनरशिप फर्म/सोसाईटी का पैन न0
 - 2.6 कम्पनी/पार्टनरशिप फर्म/सोसाईटी का जी0एस0टी0 संख्या
 - 2.7 कम्पनी/पार्टनरशिप फर्म/सोसाईटी का खाता संख्या व बैंक शाखा का नाम

(बिन्दुसंख्या 2.1 से 2.7 तक की सूचनाओं के साथ साक्ष्य सत्यापित प्रमाण संलग्न किये जाने आवश्यक हैं।)
3. भूमि का क्षेत्रफल.....वर्ग0मी0
4. भूमि का स्थिति (Location).....
5. ग्राम/नगर.....विकासखण्ड.....तहसील.....
जिला..... जहां भूमि अवस्थित है।
6. भूमि के अक्षांतर (Longitude).....व देशान्तर (Latitude).....
7. भूमि के स्वामित्व की स्थिति
 - 7.1 स्वयं की भूमि
 - 7.2 पार्टनरशिप में फर्म के नाम क्रय की गयी भूमि
 - 7.3 पार्टनरशिप में भिन्न-भिन्न पार्टनर के स्वामित्व की भूमि

7.4 भूमि की स्वामी से पंजीकृत अनुबन्ध के आधार पर ली गयी भूमि

7.5 अन्य (अन्य को स्पष्ट करें)

(बिन्दुसंख्या 7.1 से 7.5 तक की सूचनाओं के साथ साक्ष्य सत्यापित प्रमाण संलग्न किये जाने आवश्यक हैं।)

8. भूमि का वर्तमान भू-उपयोग.....

9. भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता.....हाँ/नहीं.....

10-भूमि पर EWS / LIG आवासों तथा अन्य प्रस्तावित आवासों का ले-आउट (Lay out plan) (कृपया परियोजना प्रस्ताव का Lay out plan संलग्न करें)

11- भूमि पर EWS / LIG आवासों की संख्या

11.1 EWS-----

11.2 LIG-----

12- EWS / LIG आवासों का आकार

12.1 EWS ईकाई का कवर्ड क्षेत्रफल.....वर्ग मी0

12.2 EWS ईकाई का बिल्टअप क्षेत्रफल.....वर्ग मी0

12.3 LIG ईकाई का कवर्ड क्षेत्रफल.....वर्ग मी0

12.4 LIG ईकाई का बिल्टअप क्षेत्रफल.....वर्ग मी0

(कृपया EWS तथा LIG आवासों का unit plan संलग्न करें)

13- यदि प्लॉटेड विकास हो तो प्लॉट का आकार.....वर्ग मी0

(कृपया प्लॉटेड विकास का Lay out plan संलग्न करें)

14- उत्तराखण्ड राज्य भवन उपविधि मानकों के अनुसार निम्न प्राविधान

13.1 हरित क्षेत्रफल.....वर्ग मी0

13.2 पार्किंग हेतु क्षेत्रफल.....वर्ग मी0

13.3 वाहन पार्किंग का क्षेत्रफल.....वर्ग मी0

13.4 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था.....हाँ/नहीं

13.4 विद्युत व्यवस्था.....हाँ/नहीं

13.5 पेयजल व्यवस्था.....हाँ/नहीं

13.6 एस0टी0पी0 हेतु आरक्षित क्षेत्रफल.....वर्ग मी0

13.7 रेन वॉटर हारवेस्टिंग हेतु व्यवस्था.....हाँ/नहीं

13.8 अन्य सुविधायें.....वर्ग मी0

15. निर्माण की कुल लागत.....प्रति वर्गफीट लागत.....

(कृपया परियोजना की कुल लागत का आंकणन संलग्न करें)

16. निर्माण हेतु वित्तीय आंकणन.....(कृपया परियोजना हेतु वित्त

व्यवस्था का विवरण संलग्न करें)

17. परियोजना कार्ययोजना हेतु PERT व Timeline chart (कृपया परियोजना का PERT व Timeline chart विवरण संलग्न करें)

18. परियोजना हेतु अन्य विवरण.....

भवदीय,

आवेदक का नाम व पता (दूरभाष
न० व ई-मेल आई डी० सहित)

हस्ताक्षर

कम्पनी/फर्म की सील

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कार्यालय उपयोगार्थ

आज दिनांक.....को आवेदक नाम.....द्वारा
उत्तराखण्ड आवास नीति-2017 के अन्तर्गत मॉडल.....हेतु परियोजना
प्रस्ताव का आवेदन किया गया है तथा आवेदक का आवेदन कार्यालय द्वारा प्राप्त किया
गया। आवेदक को आवेदन संख्या निर्गत की जाती है।

हस्ताक्षर

(प्राप्तकर्ता)
कर्मचारी/अधिकारी
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर
विकास प्राधिकरण